


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेशांक :: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 2017-18/2017 दिनांक 31-08-2017 द्वारा काउन्सीलिंग के माध्यम से पदौन्नति पर पदस्थापन करते हुए (आदेश में वर्णित कार्मिक क्रम संख्या-56 पर) श्रीमती चम्पादेवी पूर्व व्याख्याता हिन्दी राउमावि थांवला जिला नागौर को पदौन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य राउमावि राजोद नागौर पदस्थापित किया गया था, उक्त पदस्थापन सम्बन्धी आदेश में नव पदस्थापित स्थान का नाम **राजोद-नागौर के स्थान पर राउमावि0 राजोद ब्लाक जायल जिला नागौर पढे जाने का आंशिक संशोधन एतद् द्वारा जारी किया जाता है** साथ ही, श्रीमती चम्पादेवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्देशानुसार **श्रीमती चम्पादेवी** को दिनांक **25-09-2017 तक कार्यग्रहण किये जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की** जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल पदौन्नत पर पदस्थापित स्थान, **राउमावि राजोद ब्लाक जायल जिला नागौर** में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करें। कार्यग्रहण किया जाकर शाला दर्पण के माध्यम से की जानी वाली समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी सूचित करावें।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/45002/कार्यग्रहण अभिवृद्धि/2017 दि0 : 19.09.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01- सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
- 02- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) नागौर
- 03- सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्मिक को पालनार्थ।
- 04- निजी/ रक्षित पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर